

के अंतर्गत लगाए जाने वाले एकीकृत कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक उन पर सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल का मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2007 के नियम 10 के उप नियम (1) के उप वाक्य (ग) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट संव्यवहार मूल्य में शामिल रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप धारा (1) के अंतर्गत घोषित उस प्रतिफल पर, जिस पर की यथोचित सीमा शुल्क भुगतान किया गया है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (7) के अंतर्गत सकल सीमा शुल्क लगाया जाता हो।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 6/2018- Integrated Tax (Rate)

G.S.R.74(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the integrated tax leviable under section 5 read with section 7 of the said Act on the supply of services, imported into the territory of India, covered by sub-item (c) of item 5 of Schedule II to the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) as made applicable by section 20 of the said Act, to the extent of the aggregate of the duties of Customs leviable under sub-section (7) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), on the consideration declared under sub-section (1) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) towards royalties and license fees included in the transaction value as specified under clause (c) of sub-rule(1) of rule 10 of the Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007 on which the appropriate duties of Customs have been paid.

[F. No.354/13/2018 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सं. 1/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 75(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) तथा धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1), धारा 8 की उप धारा (1), तथा धारा 21 के खंड (iv), एवं खंड (v) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017 संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड II, भाग 3, उप भाग (i) में सा.का.नि. संख्या 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करती है यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

क. मद (iv) में,

(i) उप मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ग) सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत भूमि को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए वर्तमान मलिन बस्तियों का स्व:स्थानिक पुनर्विकास;”;